कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0-1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, जमुई
जिला– जमुई

527
22.06.18

20 JUN 2018

महाशय,

नगर परिषद्, जमुई के वर्ष 2015–16 से 2016–17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 813 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

ह0

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0/14742/71 दिनांक– 18.6.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, जमुई

प्रधान सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
21 JUN 2018
संख्या 6020
बिहार, पटना

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी 18/06/18
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 813/17–18

भाग–I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित इकाई का नाम	नगर परिषद, जमुई
2	परीक्षित लेखा की अवधि	2015–16 से 2016–17
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक के योजना की रोकड़बही, बैंक पासबुक (उपरोक्त रोकड़बही सम्बन्धित), योजना पंजी (वही), राजस्व वसूली, के लेखाओं की लेखापरीक्षा की गई। इसके अलावा योजनाओं से संबंधित अभिलेखों,सामग्री खरीद की अभिलेखो, अभिश्रव की नमूना जाँच की गई।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	09.09.17 से 22.09.17
5	**प्रशासन**	**अवधि**
	श्री अजय कुमार मिश्रा	29.11.11 से 28.09.13
	श्री मेधावी	28.09.13 से 15.06.15
	श्री सुभाष कुमार	15.06.15 से 07.12.16
	श्री श्रृष चौहान	07.12.16 से 03.07.17
	श्री अरविन्द पासवान	03.07.17 से वर्तमान समय तक
	अध्यक्ष	**कार्य अवधि**
	श्रीमती जया कुमारी	09.06.12 से 08.06.17
	श्रीमती रेखा कुमारी	08.06.17 से वर्तमान समय तक
	उपाध्यक्ष	**कार्य अवधि**
	श्री अनिल प्रसाद साह	09.06.12 से 08.06.17
	श्री राकेश कुमार	08.06.17 से वर्तमान समय तक
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	श्री कौशल किशोर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री सुमन कुमार ठाकुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री कुमार अग्निवेश, लेखापरीक्षक
7	निरीक्षण अधिकारी का नाम	श्री राकेश कुमार–II, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
8	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	अनुपलब्ध
9	अंकेक्षण टिप्पणी	जिन अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तारण इकाई के अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सका, उन्हें इस प्रतिवेदन में शमिल किया गया है।
10	क्या कार्यपालक के साथ आपत्तियों पर चर्चा की गयी	हॉ, दिनांक 22.09.17

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग–II (क)– शून्य
भाग–II (ख)

कंडिका सं0– 01(क) सम्पति कर की वसूल की गयी राशि नगर परिषद कोष में जमा नहीं राशि रू 8.08 लाख

नगर परिषद, जमुई के वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक की अवधि में विविध रसीद, दैनिक वसूली एव संबंधित बैंक खाता से मिलान के क्रम में पाया गया कि प्रधान लिपिक–सह–लेखापाल द्वारा जमुई नगर परिषद के आंतरिक संशाधन में प्राप्त होने वाली राशि के लिए विविध रसीद निर्गत किये जाते थे। उनके द्वारा प्राप्त राशि को ना तो समय पर जमा किया जाता था और न ही प्राप्त पूरी राशि को संबंधित खाता में जमा किया जाता था। कई मामलों में ओवर–राईटिंग कर राशि में परिवर्तन किया हुआ और कहीं– कहीं अंकों में हेर– फेर किया हुआ पाया गया। अंकेक्षण में मिलान के क्रम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार का कार्य लेखा नियमावली 2014 का भी उलंघन करता है।

अंकेक्षण अवधि में वैसी राशि जिसका सीधा मिलान करना संभव नहीं हुआ उसके लिए प्राप्त की गई रसीद दिनांक–27.03.2015 से दिनांक–30.08.2017 की अनुसूची बनाई गयी (विवरणी साक्ष्य के साथ संलग्न है) तथा उक्त अवधि की राशि का संबंधित बैंक खाता में जमा राशि की विवरणी बनाई गयी (विवरणी साक्ष्य के साथ संलग्न है)। उक्त विवरणी के मिलान के क्रम में पाया गया कि प्राप्त राशि रू. 13293141/– के विरूद्ध बैंक में मात्र रू. 12484747/– जमा था। इस प्रकार लेखापाल द्वारा राशि रू. 808394/– परिषद कोष में जमा नहीं किया गया जो कि वसूलनीय हैं।

जवाब में बताया गया कि वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक की अवधि में विविध रसीद मिलान कर जमा कर दिया जाएगा। कार्रवाई के परिणाम से अवगत कराया जाय।

कंडिका सं0– 01(ख) वसूल की गयी राशि नगर परिषद कोष में जमा नहीं राशि रू 0.37 लाख

नगर परिषद्, जमुई के लेखा परीक्षा के दौरान होल्डिंग रसीद एवं विविध रसीद का मिलान दैनिक संग्रह पंजी एवं पी.एल खाता/बैंक खाता से करने पर यह पाया गया कि निम्नलिखित राशि कर संग्राहक श्री चंदन कुमार शर्मा द्वारा कम/नहीं जमा की गई।

क्र. सं.	रसीद के प्रकार	रसीद संख्या	दिनांक	वसूल की गई राशि	जमा राशि	कम/नहीं जमा	वसूलकर्त्ता
1	एच रसीद	2896	07.04.17	800	168	632	श्री चदन कुमार, कर संग्राहक
2	तथैव	3072	12.04.17	1088	544	544	तथैव
3	विविध	9801–9900	21.06.16–03.10.16	20610	0	20610	तथैव
4	तथैव	9601–9700	17.03.16–20.06.16	15385	0	15385	तथैव
			कुल	37883	712	37171	

इस प्रकार कर संग्राहक द्वारा राशि रू. 37171/– परिषद कोष में जमा नहीं किया गया जो कि वसूलनीय हैं।

जवाब में बताया गया कि वसूल की गई राशि को शीघ्र जमा कर दिया जाएगा। कार्रवाई के परिणाम से अवगत कराया जाय।

कंडिका सं0– 01(ग) सम्पति कर की वसूल की गयी राशि नगर परिषद कोष में जमा नहीं राशि रू 2.54 लाख

नगर परिषद्, जमुई के लेखा परीक्षा के दौरान होल्डिंग रसीद के मिलान दैनिक संग्रह पंजी एवं पी.एल खाता/बैंक खाता से करने पर यह पाया गया कि निम्नलिखित राशि कर संग्राहक श्री चंदन कुमार शर्मा द्वारा जमा नहीं की गई।

क्र.सं.	रसीद सं.	दिनांक	राशि	कर संग्राहक
1	3371–3400	23.06.17–19.08.17	112362	श्री चंदन कुमार शर्मा
2	3001–3100	08.04.17–13.04.17	106717	तथैव
3	3901–3910	23.08.17–18.09.17	35239	तथैव
4		कुल	254318	

उपरोक्त राशि को संबंधित कोष में जमा नहीं किया गया जो संबंधित व्यक्ति से वसूलनीय है।
कार्यालय द्वारा इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। लेखापरीक्षित इकाई अपने जवाब से शीघ्र अवगत कराये।

कंडिका सं0– 02 बाँबकैट मशीन (Skid steer loader with attachment) के क्रय में अनियमितता

बाँबकैट मशीन के क्रय से संबंधित संचिका के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 20.07.2015 को आयोजित नगर परिषद् जमुई बोर्ड की बैठक में 13वीं वित्त आयोग की मद से एक अद्द बाँबकैट मशीन क्रय करने का निर्णय लिया गया। निर्णय के आलोक में निविदा आमंत्रण सूचना सं0 08/2015–16 दिनांक 06.08.15 प्रकाशित करायी गयी थी। निविदा आमंत्रण सूचना किस दिन तथा किस समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया इसका साक्ष्य संचिका में नहीं पाया गया। निविदा आमंत्रण सूचना का विवरण निम्न है:–

1 निविदा कागजात की बिक्री की तिथि तथा स्थानः 18.08.15 से 21.08.15 दोपहर 0300 तक नगर परिषद् कार्यालय

2 निविदा जमा करने की अंतिम तिथिः 21.08.15 दोपहर 0300 बजे तक

3 निविदा खोलने की तिथिः 21.08.15 04:00 दोपहर

आगे, संचिका के अवलोकन मे पाया गया कि निविदा आमंत्रण सूचना के आलोक में कुल चार निविदादाताओं 1. के. एसोसिएट, धनबाद 2. जी0 के इन्जिनयरिंग, धनबाद 3. कोन इक्वीप, दुर्गापुर तथा 4. गैमजेन प्लास्ट, मुम्बई द्वारा निविदा डाला गया। दिनांक 22.08.2015 को निविदा निष्पादन हेतु क्रय समिति की बैठक आयेजित की गई जिसमें जी0 के0 इन्जिनयरिंग को निविदा शर्तो के अनुरूप अग्रधन की राशि जमा नहीं करने के कारण तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया।

इसके बाद वित्तिय बीड से संबंधित तुलनात्मक विवरणी बनाया गया जिसका विवरण निम्न है:–

निविदादाता का नाम	सामग्री का नाम	निवेदित दर(रू0 में)	समझौता का दर(रू0 में)
के. एसोसिएट, धनबाद	Skid Steer Loader s 450 m/c	2110000	1850000
	60" Sweeper Attachment	603750	515000
	Bucket Grappel Attachment	640000	600000
कोन इक्वीप, दुर्गापुर	Skid Steer Loader	2025000	—
	60" Sweeper Attachment	590000	—
	Bucket Grappel Attachment	622500	———
गैमजेन प्लास्ट, मुम्बई	Skid Steer Loader	1875000	---
	6 in One Bucket	150000	—
	Sweeper Attachment	525000	—
	Backhoe	550000	—

स्पष्ट है कि गैमजेन प्लास्ट प्रा0 लि0, मुम्बई सिटी द्वारा निवेदित दर सर्वाधिक कम था। क्रय समिति द्वारा सभी निविदादाताओं के समक्ष दर निर्धारण हेतु समझौता का प्रस्ताव रखा गया। के. एसोसिएट का समझौता के पश्चात दर मौखिक रूप से बताया गया जो कि उपरोक्त विवरण में अंकित है। दर समझौता के पश्चात के. एसोसिएट को क्रय समिति द्वारा उपरोक्त सामानों की आपूर्ति करने हेतु चयनित किया गया।

आगे, संचिका के अवलोकन में पाया गया कि कार्यालय के ज्ञापांक संख्या 593 दिनांक 22.08.15 के द्वारा Skid Steer Loader 60"— 02 अदद, 60" Sweeper Attachment Bucket— 01 अदद तथा Grappel Attachment—01 अदद के आपूर्ति करने हेतु आदेश निर्गत किया गया। भुगतान का विवरण निम्न है:—

सामग्री	मूल्य	वैट की कटौती	आपूर्तिकर्ता को भुगतान	चेक संख्या/दिनांक
Skid Steer Loader s 450 m/c	4815000	229285	4585714	574367
60" Sweeper Attachment				
Bucket Grappel Attachment				

अंकेक्षण टिप्पणी:—

1. **सर्वाधिक कम निवेदित दर पर नहीं खरीद करने से अधिक भुगतान रू0 3.90 लाख:—** वित्तिय बिड के तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि गैमजेन पलस्ट मुंबई द्वारा निवेदित दर सबसे

कम है। तुलनात्मक विवरणी में गैमजेन पलस्ट, मुंबई द्वारा बैकहो का दर भी निवेदित किया गया था जो कि निविदा के अनुसार सामान के क्रय सूची में सम्मिलित नहीं था। अतः तुलनात्मक विवरण में उस दर को शामिल नहीं करना था। नगर परिषद द्वारा क्रय किए जाने वाले सामान के लिए गैमजेन प्लास्ट द्वारा निवेदित दर रू0 2530000 था जबकि के. एसोसिएट द्वारा निवेदित दर रू0 2965000 था। के. एसोसिएट को दो अदद Skid Steer Loader, एक अद्द Sweeper attachment तथा एक अद्द Bucket attachment के क्रय पर रू0 4815000 का भुगतान किया गया है। जबकि यही उपकरण गैमजेन प्लास्ट से रू0 4425000 में खरीदा जा सकता था। अतः रू 390000 का अधिक भुगतान किया गया।

2. **प्रदर्शन प्रतिभूति नहीं लिया जाना रू0 2.40 लाखः**— बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 131 (त) के अनुसार संविदा का देय प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए सफल बोलीकर्त्ता से प्रदर्शन प्रतिभूति प्राप्त किया जाना है। प्रदर्शन प्रतिभूति 5 से 10 प्रतिशत राशि तक होनी चाहिए। प्रदर्शन प्रतिभूति वारंटी दायित्व सहित आपूर्त्ति कर्त्ता के सभी करार दायित्वों के पूरा होने की तिथि से साठ दिन बाद की अवधि तक वैध रहनी चाहिए। संचिका के अवलोकन में पाया गया कि आपूत्तिकर्त्ता से बिना प्रदर्शन प्रतिभूति रू0 240750 (रू0 4815000 का 5 प्रतिशत) प्राप्त किये ही भुगतान किया गया है।

3. **निविदा ई टेन्डरिंग विधि से नहीं किया जानाः**— बिहार वित्तिय नियमावली के 131(ज) के अनुसार पच्चीस लाख से अधिक मूल्य के सामग्रियों के अधिप्राप्ति के लिए विज्ञापन महानिदेशक, वाणिज्यिक गुप्तचर एवं सांख्यिकी, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित इन्डियन ट्रेड जर्नल तथा कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर पर अधिकाधिक प्रसार वाले दैनिक पत्र में देना चाहिए। निविदा दस्तावेज को अपने कार्यालय के वेबसाइट पर लोड किया जाना चाहिए तथा निविदादाताओं को कागजात डाउनलोड तथा अपलोड करने की सुविधा देनी चाहिए ताकि बोली दाता को निविदा कागजात प्राप्त करने तथा जमा करने हेतु कार्यालय न आने पर एवं ज्यादा से ज्यादा निविदा दाता निविदा में भाग ले सके। संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन एवं सूचना विभाग, बिहार सरकार के पास भेजा तो गया लेकिन यह किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ इससे संबंधित कोई विवरण नहीं है। निविदा कागजात को केवल कार्यालय से ही प्राप्त किया जा सकता था जिसके कारण निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं दक्षता का अभाव रहा। नगर परिषद् अधिक से अधिक बोली प्राप्त नहीं करने के कारण प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त करने से भी वंचित रहा।

4. बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 131 ज(v) के अनुसार बोली समर्पित करने की न्यूनतम अवधि सामान्यतः निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि अथवा बोली दस्तावेज बिक्रि हेतु उपलब्ध होने की तिथि जो भी बाद में हो, से तीन सप्ताह की होगी। लेकिन पाया गया कि बोली दस्ताबेज बिक्री

हेतु दिनांक 18.08.15 से उपलब्ध कराया जबकि बोली दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि 21. 08.15 था। यानि बोली दाताओं को केवल बोली दस्तावेज जमा करने हेतु 04 दिन का समय दिया गया था।

5. संचिका में तकनीकी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया। जबकि विपत्र का भुगतान करने से पहले यह सुनिश्चि करना चाहिए कि क्रय किए गए उपकरण सभी दृष्टिकोण से निविदा की शर्त/आपूर्त्ति आदेश के अनुकुल है।
6. निविदा आमंत्रण की सूचना किस दिन एवं किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ इसका उल्लेख संचिका में नहीं पाया गया।
7. क्या क्रय किये गये उपकरणों को भंडार पंजी/संपत्ति में दर्ज नहीं किया गया था।

   कमांक सं0. 01 से 04 तक जवाब में बताया गया कि भविष्य में इन बातों का ध्यान रखा जाएगा एवं 05 से 07 उपलब्ध करा दिया जाएगा।

कंडिका सं0–03 योजना का कियान्वयन में अनियमितता राशि रू 1.42 लाख

योजना संख्याः– 14/15–16

मदः– पंचम वित्त

संवेदक का नामः– श्री गोपाल रंजन

योजना का नामः– सीताराम यादव के घर से देवेन्द्र यादव चिमनी तक शेष भाग में पी.सी.सी. कार्य

एकरारनामा की राशिः– 1459139 (अनुसूचित दर पर)

एकरारनामा की तिथिः– अंकित नहीं कार्य में कुल भुगतानः– 1459139 (सभी करों सहित)

तकनीकी स्वीकृतिः-- काई प्रमाण संलग्न नहीं

अंकेक्षण टिप्पणी–

(क) बी.ओ.क्यू. में अधिक दर उद्धृत किए जाने के कारण कार्य मूल्य में वृद्धि (रू0 1.42 लाख)

बी.ओ.क्यू., मापी पुस्तिका एवं योजना संचिका की जाँच में पाया गया कि बी.ओ.क्यू.(आइटम नंबर 5) में Brick Flat soling 956.30 m^2 (392.80/M^2) मात्रा में करना था। इसके लिए जो दर (392.80/M^2) निर्धारित था वह वास्तविक रूप में Brick edge soling का दर था। इसकी पुष्टि परिषद् कार्यालय में उसी अवधि में कार्यान्वित अन्य योजनाओं के approved B.O.Q.से होती है। उन योजनाओं में Brick Flat soling का दर रू0 244.5।/मी^{2} निर्धारित किया गया था। इस प्रकार बी.ओ.क्यू. में अधिक दर दिए जाने के कारण कार्य मूल्य में रू0 141810 (मात्राxदर में अंतर =956.30x148.29) की वृद्धि हो गई। यद्यपि मापी पुस्तिका में Brick edge soling का कार्य दर्शाया गया था। स्थल की जाँच विभागिय रूप से करायी जाय कि वास्तविक रूप में Brick edge soling का कार्य किया गया है अथवा नहीं। Brick edge soling का कार्य नहीं होने की स्थिति में संबंधित दोषी व्यक्तियों से इसकी वसूली की जाएगी।

बी.ओ.क्यू. की जाँच एवं अनुमोदन कई स्तरों से की जाती है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जाँच एवं अनुमोदन में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। कार्य की दर का अनुमोदन सक्षम पदाधिकाारी से प्राप्त की जाय एवं उचित कार्रवाई किया जाय।

(ख) मिट्टी पर रायल्टी की कटौती नहीं (रू0 0.07 लाख)

मापी पुस्तिका के पृष्ठ 1 पर मिट्टि कार्य 334.05 मी^{3} दर्शाया गया जिसपर रायल्टी रू0 7349 की कटौती संवेदक के विपत्र से नहीं की गई थी जिससे राजस्व की क्षति हुई। इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई से अवगत कराये।

(ग) मापी में अनियमितता

इस कार्य में मिट्टि कार्य के अलावे सैण्ड फिलिंग, ब्रिक सोलिंग एवं पी.सी.सी. के कार्य मुख्य थे। ये सभी कार्य सड़क निर्माण में परत दर परत किए जातें हैं अतएव दूसरी, तीसरी एवं चौथी परत का कार्य किए जाने के बाद पहले परत की मापी वास्तविक रूप से नहीं की जा सकती। कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा पूरे कार्य की मापी एक ही दिन दिनांक 20.05.16 को की गई। इससे सभी लेयरों की सही मापी नहीं की जा सकती है।

अतः मापी संदिग्ध एवं अनियमित था।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि तकनीकी पदाधिकारी से कारण पृच्छा कर महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योकि कियान्वयन के पूर्व ही तकनीकी रूप से कार्य की जॉच की जानी चाहिए थी।

कंडिका सं0–04 बंदोबस्ती नहीं किए जाने के कारण राजस्व की क्षति (रू0 31.06 लाख)

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय समय पर बंदोबस्ती से संबंधित दिशा–निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुसार सैरातों की बंदोबस्ती किए जाने के पूर्व जन–जन जागरूकता लाने के लिए उसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए। इस व्यापक प्रचार–प्रसार के रूप में दीवालों पर इस्तहार, लाउडीस्पीकर द्वारा प्रचार, अखवार में विज्ञापन द्वारा प्रचार इत्यादि का सहारा लिया जाना चाहिए। उपयुक्त डाकबक्ता नहीं मिलने की स्थिति में नियमानुसार कम से कम तीन बार विज्ञापन निकालकर समुचित अवसर दिया जाना चाहिए ताकि नगर परिषद् को राजस्व की क्षति नहीं हो। विशेष परिस्थिति में बंदोबस्ती नहीं होने की स्थिति में बोर्ड में इस बात की सूचना दी जानी चाहिए एवं विभागीय वसूली की कार्यवाही सुचारू रूप से की जानी चाहिए ताकि किसी प्रकार की राजस्व की क्षति नहीं हो। नगर परिषद् कार्यालय, जमुई द्वारा बंदोबस्ती से संबंधित संचिका का संधारण नहीं किया गया था। संचिका के नाम पर मात्र बीड शीट संलग्न था।

वर्ष 2016–17 की बन्दोबस्ती हेतु निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 33/2015–16 अखबार में प्रकाशित की गई थी, जिसमें कुल 09 सैरातों की बंदोबस्ती हेतु सुरक्षित जमा का निर्धारण करते हुए विज्ञापन प्रकाशित

किया गया था। इनमें से कुल 07 सैरातों की बंदोबस्ती की गई एवं शेष 02 सैरातों की बंदोबस्ती नहीं की गई जिसकी विवरणी इस प्रकार है:–

क्र.सं.	सैरात का नाम	निर्धारित सुरक्षित जमा राशि	अभ्युक्ति
1	ट्रक ट्रैक्टर से ले जाने वाले बालू पर चुंगी	3055000	वर्ष 2015–16 में बालू पर चुंगी की बंदोबस्ती की गई थी जिसमें राशि रू0 3055000 की वसूली की गई थी।
2	साइकिल टिन टिकट लाइसेंस	50700	
	योग	**3105700**	

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त वर्णित दोनों सैरातों की बंदोवस्ती नियमानुकुल प्रयास किया गया होता तो कम से कम राजस्व के रूप में रू0 3105700 की प्राप्ति अवश्य होती। विभागीय वसूली भी नहीं की गई थी। नगर परिषद् कार्यालय को हुई राजस्व क्षति के लिए जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाय।

इस संबंध में निम्न सूचना उपलब्ध करायी गयी।

(क) यह पूछे जाने पर कि सैरात बंदोबस्ती नहीं होने की स्थिति में कितना बार आम सूचना प्रकाशित की गई। जवाब में बताया गया कि एक बार सूचना प्रकाशित की गयी थी

(ख) बंदोबस्ती हेतु क्या व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था। जवाब में बताया गया कि नहीं किया गया था।

(ग) बंदोबस्ती नहीं होने की स्थिति में क्या उक्त अवधि में विभागीय वसूली की गई थी। जवाब में बताया गया कि विभागीय वसूली नहीं की गयी थी।

(घ) बंदोबस्ती नहीं होने के क्या कारण थे। जवाब में बताया गया कि डाकवक्ता भाग नही लिया था।

(ड़) प्रथम बार बोली में कोई डाक बक्ता द्वारा भाग नहीं लिया गया उससे संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया।

(च) बंदोबस्ती की मूल संचिका उपलब्ध नहीं कराया गया।

उपर्युक्त जवाब से स्वतः स्पष्ट होता है कि बन्दोबस्ती हेतु पर्याप्त मात्रा में प्रचार–प्रसार नहीं किया गया एवं विभागीय वसूली भी नहीं की गयी। अतः सक्षम पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवश्यक कार्रवाई से अवगत कराया जाय।

कंडिका सं0–05 वगैर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए योजना का कियान्वयन राशि रू 14.71 लाख

योजना संख्याः– 01/2015–16

शीर्षः– राज्य योजना (तेरहवीं वित्त)

एकरारनामा संख्या एवं दिनांकः– F_2/01/15-16 दिनांक 10.03.2016

प्राक्कलन की राशिः– रू0 1470940

संवेदक का नामः— श्री अशोक कुमार सिंह

एकरारनामा की राशिः— रू0 1323846 (10%)

योजना का नामः— रूपलाल पंडित के घर से पंचालाल चिमनी तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण

कार्य में कुल भुगतानः— रू0 1322204

कार्य प्रारंभ की तिथिः— 28.01.2016

कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथिः— 10.03.2016

अंकेक्षण टिप्पणीः

(क) बगैर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए योजना का क्रियान्वयन (रू0 14.71 लाख)

बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 130 के अनुसार बगैर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए योजना का क्रियान्वयन नहीं करवाया जाना चाहिए। विशेष परिस्थिति में यदि कार्य करवाना आवश्यक हो तो कार्य के क्रियान्वयन के बीच में ही सक्षम पदाधिकारी से उसकी तकनीकी स्वीकृति ले ली जानी चाहिए।

योजना संचिका, प्राक्कलन एवं मापी पुस्तिका की जाँच में पाया गया कि योजना की तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई थी। बगैर तकनीकी स्वीकृति के योजना का क्रियान्वयन अनियमित था।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि जाँचोपरांत वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा।

(ख) मिट्टि कार्य पर रायल्टी की कटौती नहीं किए जाने से राजस्व की क्षति (रू0 0.12 लाख)

योजना संचिका एवं मापी पुस्तिका की जाँच में पाया गया कि मिट्टी पर रायल्टी की कटौती नहीं की गई थी। विवरण इस प्रकार हैः—

क्र.सं.	मापी पृष्ठ सं.	आइटम नंबर	मिट्टी कार्य की मात्रा	रायल्टी का दर	रायल्टी की राशि
1	5	1	432.10 मी^{3}	रू0 22/मी^{3}	550X22=12100
2	6	6	117.90 मी^{3}		

मिट्टी कार्य पर रायल्टी की कटौती नहीं किए जाने के कारण कार्य में अधिक भुगतान संवेदक को किया गया साथ ही सरकार को रू0 12100 के राजस्व की क्षति हुई।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि कर की वसूली किया जाएगा। कार्रवाई के परिणाम से अवगत कराये।

(ग) अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी की राशि नहीं लिए जाने के कारण संवेदक को अदेय सहायता

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3376 (एस0) दिनांक 17.08.10 द्वारा तथा special contract of contract में कहा गया था कि अनुसूचित दर से नीचे दर डाले जाने पर एकरारनामा के समय संवेदक से Additional performance guarantee के रूप में राशि ली जाय।

नगर परिषद् कार्यालय जमुई द्वारा इस योजना में Additional Performance Guarantee के रूप में राशि नहीं ली गई थी जिसके कारण संवेदक को अदेय सहायता पहुँचाया गया।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

(घ) बी.ओ.क्यू. तथा मापी में दर्ज मात्रा एवं दर में अंतर

बी.ओ.क्यू. में दर्ज मात्रा एवं दर संबंधित विवरणी:

क्र.सं.	आइटम नंबर	कार्य का नाम	दर्ज मात्रा	दर्ज दर
1	3	पी.सी.सी.	823.50 मी^{2}	रू0 244.51 / मी^{2}
2	4	ब्रीक फ्लैट सोलिंग	164.70 मी^{3}	रू0 5911.54 / मी^{3}

मापी पुस्तिका में दर्ज मात्रा एवं दर:

क्र.सं.	आइटम नंबर	मापी पुस्त पृष्ठ सं.	कार्य का नाम	दर्ज मात्रा	दर्ज दर
1	3	6	ब्रीक फ्लैट सोलिंग	823.50 मी^{2}	रू0 244.51 / मी^{2}
2	4	6	पी.सी.सी.	164.70 मी^{3}	रू0 5911.54 / मी^{3}

उपर्युक्त दोनों तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि दोनों कार्य की मात्रा एवं दर में उलटफेर हो गया है यद्यपि तकनीकी रूप से मापी पुस्तिका में दर्ज मात्रा एवं दर सही है।

इस भूल के कारण पृच्छा पर जवाब दिया गया कि तकनीकी पदाधिकारीयों से कारण पृच्छा की जाएगी। इस कार्रवाई के परिणाम से अवगत कराया जाय।

(ड़) निविदा की स्वीकृति में अनियमितता

बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 तथा पत्र संख्या 13211 अनु0 दिनांक 16.10.08 द्वारा राज्य में सभी कार्य विभागों पर लागू संशोधित रूप में इस प्रकार किया गया था कि 25 लाख तक की निविदा में मात्र श्रेणी 4 के संवेदक भाग ले सकेंगे साथ ही Special condition of contract के अनुसार निविदा डाले जाने के समय अद्यतन लेबर लाइसेंस कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए तभी निविदा की स्वीकृति का वैध माना जा सकता है। योजना संचिका की जाँच में पाया गया कि संवेदक श्रेणी 3 में निबंधित थे एवं लेबर लाइसेंस की वैधता अवधि 3 मार्च 2015 तक थी जो निविदा डाले जाने की निर्धारित तिथि से लगभग 1 वर्ष पूर्व का था। उक्त तथ्यों के आधार पर संवेदक को कार्य का आवंटन नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

कंडिका सं0–06 हस्तरसीद पर अनियमित भुगतान राशि रू 2.53 लाख

योजना संख्या:– 88 / 2016–17

शीर्ष:– आंतरिक संसाधन से विभागीय

अभिकर्त्ता का नाम:– श्री अरूण कुमार, कनीय अभियंता

प्राक्कलण की राशि:– रू0 749047

कार्य प्रारंभ की तिथि:– 24.01.17

कार्य समाप्ति की तिथि:– दो माह

कार्य में कुल भुगतान:– रू0 744076

कार्य की तकनीकी स्वीकृतिः– सहायक अभियंता द्वारा रू0 749000 (बगैर तिथि का)

योजना का नामः– वार्ड संख्या 22 में बसफोड़ी टोला में पी.सी.सी. सड़क निर्माण

अंकेक्षण टिप्पणीः

(क) हस्त रसीद पर अनियमित भुगतान (रू0 2.53 लाख)

बिहार सरकार की विभागीय अधिसूचना संख्या 673 दिनांक 06.05.1977 एवं 1956 दिनांक 10.06.1980 के अनुसार आपातकालीन स्थिति यथा बाढ़, भूकंप आदि को छोड़कर हस्त रसीद पर भुगतान नहीं किया जाय। संचिका में संलग्न अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि उक्त योजना में रू0 253359 का भुगतान हस्तरसीद पर किया गया था जिसकी विवरणी इस प्रकार हैः–

क्र.सं.	दिनांक	मद	राशि सभी करों सहित	प्राप्त कर्त्ता का नाम
1	28.01.17	मिट्टी	36835	श्री मुकेश राम
2	29.01.17	स्थानीय बालू	42605	तथैव
3	31.01.17	सोन बालू	18128	तथैव
4	05.02.17	स्टोन चिप्स	49210	श्री विनोद यादव
5	14.02.17	तथैव	57371	तथैव
6	18.02.17	तथैव	49210	तथैव
		योग	253359	

इस प्रकार हस्तरसीद पर किया गया भुगतान सरकार के निर्देशों के विपरीत था अतएव अनियमित था।

(ख) मिट्टी पर अधिक दर से रायल्टी की राशि दर्शाकर आपूर्त्तिकर्त्ता को अधिक भुगतान (रू0 0.12 लाख)

बिहार सरकार के अधिसूचना द्वारा मिट्टी पर रायल्टी की दर रू0 22/मी^{3} दिनांक 27.01.12 से निर्धारित किया गया था। हस्तरसीद के माध्यम से किए गए भुगतान की विवरणी इस प्रकार हैः

मिट्टी 244.09 मी^{3} @64.41/मी^{3} = 15722

रायल्टी रू0 50/मी^{3} = 12205

वैट 8% = 1258

ढुलाई = 7650

आपूर्त्तिकर्त्ता श्री मुकेश राम को दिनांक 28.01.17 को हस्तरसीद के माध्यम से मिट्टी की आपूर्त्ति हेतु भुगतान रायल्टी सहित गलत रायल्टी की दर से किया गया। इस प्रकार आपूर्त्तिकर्त्ता को रायल्टी के रूप में राशि रू0 12205 का अधिक भुगतान किया गया।

(ग) मिट्टी कार्य पर गलत रूप से वैट की कटौती (रू0 0.01 लाख)

मिट्टी कार्य पर वैट की कटौती नहीं की जानी चाहिए थी। उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि आपूर्त्तिकर्त्ता को दिनांक 28.01.17 को रू0 36835 का भुगतान किया गया जिसमें वैट की राशि रू0 1258 गलत रूप से सम्मिलित किया गया। वैट की कटौती करके भुगतान की जाती है। अतएव गणना में

गलती के कारण आपूर्त्तिकर्त्ता को वैट की राशि रू0 1258 सहित भुगतान किया गया जो अनियमित एवं वसूलनीय है।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में ध्यान में रखकर कार्य कराया जाएगा।

कंडिका सं0– 07 अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण

बार– बार मांगे जाने के बाद भी निम्न अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

1. कोषागार पासबुक
2. संपत्ति पंजी
3. चल/अचल संपत्ति की भंडार पंजी
4. योजना अभिलेख एवं मापी पुस्त (आंषिक)
5. एल.ई.डी की खरीद से संबंधित संचिका
6. अग्रिम पंजी
7. अनुदान पंजी एवं अनुदान विनियोग पंजी
8. होल्डिंग टैक्स की मांग एवं वसूली पंजी
9. दुकानों के एकरारनामा एवं मांग एवं वसूली पंजी
10. योजना विवरणी
11. वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में प्राप्त अनुदान का पत्र
12. वास्तुविदों की सूची
13. सैरातों की सूची
14. ट्रेड लाइसेंस से संबंधित संचिका/विवरणी
15. शहर के होर्डिंग के सर्वे एवं विज्ञापन कर से संबंधित संचिका
16. वार्षिक लेखा
17. अभिश्रव
18. कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका
19. आय– व्यय विवरणी
20. सामान्य रोकडबही
21. परिमाण विपत्र पंजी
22. चार दिवारी निर्माण से संबंधित संचिका
23. वेतन विपत्र पंजी

उपरोक्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं कराया गया।

जवाब में बताया गया कि अगले लेखापरीक्षा में दिखा दिया जाएगा।

कंडिका सं0– 08 मकान किराया भत्ता में अधिक भुगतान रू0 0.19 लाख

वित्त विभाग के संकल्प सं0 3ए–2 वे0पु0(म0क0)–23/2009–12372 वि0(2) दिनांक 31.12.2009 के अनुसार दिनांक 01.01.10 सी श्रेणी के शहर के लिए मकान किराया भत्ता 10 प्रतिशत निर्धारित था। नगर परिषद्, जमुई के लेखाओं के लेखा परीक्षा में पाया गया कि नगर परिषद् के कर्मचारियों को निर्धारित मकान किराया भत्ता 10 प्रतिशत से अधिक (15 प्रतिशत) दिया जा रहा है। कार्यालय द्वारा बताया गया कि मकान किराया भत्ता दिसम्बर 2016 से ही 15 प्रतिशत दिया जा रहा है।

नगर परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये वेतन विपत्र के अनुसार विभिन्न कर्मचारियों का मूल वेतन एवं मकान किराया भत्त निम्न रूप से निर्धारित किया गया था।

क्र0सं0	नाम	मूल वेतन	मकान भत्ता(15%)	देय मकान किराया भत्ता(10%)	मकान किराया का अधिक भुगतान(09 माह)
1	त्रिपुरारी ठाकुर	17270	2591	1727	7776
2	विद्याशंकर उपाध्याय	10540	1581	1054	4743
3	चन्द्रशेखर चौधरी	7310	1097	731	3294
4	अजय राम	7310	1097	731	3294
				कुल	19107

दिसम्बर 2016 से पहले का वेतन पंजी उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया ताकि सेवानिवृत कर्मचारियों का हुए मकान किराया मद में हुए अधिक भुगतान की गणना की जा सके। दिसम्बर 2016 से पूर्व का वेतन पंजी अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया।

अतः सभी कर्मचारियों (वर्तमान/सेवानिवृत) का मकान किराया मद में हुए अधिक भुगतान की गणना करते हुए अधिक भुगतान की राशि को वसूल किया जाय।

जवाब में बताया गया कि राशि की वसूली कर दिया जाएगा। कार्रवाई के परिणाम से अवगत कराया जाय।

कंडिका सं0– 09 पंचम राज्य वित्त आयोग मद में प्राप्त अनुदान की राशि में से 30 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत की राशि को क्रमशः मुख्यमंत्री पेय जल योजना तथा मुख्यमंत्री नाली गली के खाता में हस्तांतरित नहीं कर राशि का अनियमित व्यय रू0 335 लाख।

नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 124 दिनांक 21.03.2016 के द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषद्, जमुई को रू0 35275708 की राशि सहायक अनुदान के रूप में आवंटन प्राप्त हुआ था। राशि की निकासी कर नगर परिषद के पी.एल. खाता में जमा किया गया।

उक्त पत्रांक के कंडिका 3 के अनुसार अनुदान के रूप में प्राप्त होनेवाली राशि का उपयोग पंचम वित्त आयोग की अनुशंसा संख्या 9.6.5 के आलोक में क्षमता वर्द्धन, ई0 म्यूनिसिपलिटि, एवं डाटा बेस प्रबंधन, प्रशिक्षण, Model city & Town Master Plan एवं DPR तैयार करने जैसे कार्यो पर किया जाएगा। कंडिका 4 के अनुसार Devolution के मद में प्राप्त राशि में से 30 प्रतिशत राशि का व्यय मुख्यमंत्री शहरी पेय जल निश्चय योजना पर किया जाएगा तथा 20 प्रतिशत की राशि का व्यय मुख्यमंत्री शहरी नाली गली

पक्कीकरण योजना पर किया जाएगा। इसके लिए नगर निकायों द्वारा अलग खाता खोलकर उतनी राशि उस खाते में रखी जाएगी।

कंडिका 5 के अनुसार नगर निकायों के कर्मियों का वेतन भुगतान नगर निकायों द्वारा अपने आंतरिक संसाधन से किया जाएगा, परन्तु राज्य सरकार बकाये वेतन का भुगतान कर सकती है। अतः Devolution+Grant के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग उपर्युक्त कंडिका में अंकित योजनाओं पर राशि कर्णाकिंत करने के उपरांत अवशेष राशि का उपयोग नगर निकायों के कर्मियों के बकाये वेतन के भुगतान पर नगर निकायों द्वारा किया जा सकेगा।

लेकिन पंचम राज्य वित्त आयोग मद के रोकड़बही के जाँच में पाया गया कि प्राप्त आवंटन रू0 35275708 में से 30 प्रतिशत अर्थात रू0 10582712 की राशि को मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना पर व्यय करने हेतु इसके खाता में नहीं रखा गया है। इसी तरह 20 प्रतिशत अर्थात रू0 7055142 की राशि को मुख्यमंत्री नाली गली पक्कीकरण योजना पर व्यय करने हेतु इसके खाता में नहीं रखा गया है। इस प्रकार पंचम राज्य वित्त आयोग मद से कुल रू0 17637854 की उपरोक्त योजनाओं के लिए कर्णांकित राशि को उक्त योजनाओं के खाता में हस्तांतरित नहीं कर अन्य कार्यों (पी.सी.सी. निर्माण) में किया गया है जो कि सरकार के दिशानिर्देश की अवहेलना है।

अंकेक्षण टिप्पणीः–

1. प्राप्त आवंटन में से 30 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत की राशि को क्रमशः मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री नाली गली पक्कीकरण योजना के खाता में हस्तांतरित नहीं किया गया इसके कारण से लेखा परीक्षा को अवगत नही कराया गया।

2. प्राप्त आवंटन में से कुल रू0 33550199 का व्यय पी.सी.सी. कार्य पर किया गया जो कि पंचम राज्य वित्त आयोग मद के दिशानिर्देश के अनुसार अनुमान्य कार्य नहीं है। ये योजनाऐं मुख्यमंत्री नाली गली योजना के अनुमोदित सूची में भी सम्मिलित था। नियमानुसार अनुदान की राशि का उपयोग उसी प्रयोजन पर किया जाना है जिस हेतु अनुदान प्राप्त हुआ है। अतः रू0 33550199 की राशि का सरकार के दिशानिर्देश के विपरीत अनियमित व्यय किया गया था।

जवाब में बताया गया कि राशि का हस्तांतरण कर लिया जाएगा। कार्रवाई के परिणाम से अवगत कराया जाय।

कंडिका सं0–10 डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए निर्धारित उपभोक्ता शुल्क वसूल नहीं रू0 35.67 लाख

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 128 एवं 228 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत नगर निकाय क्षेत्र में घर– घर कचरा संग्रह के लिए शुल्क एवं दण्ड निर्धारित करने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिसूचना संख्या 3/UIG–रिफॉर्म्स 10/2012–1251 दिनांक 12.07.2013 के द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट

प्रबंधनहेतु उपभोक्ता शुल्क निर्धारित किया गया है। सभी प्रभार/शुल्क/जुर्माना संपत्ति कर के बकाया के रूप में वसूलनीय होगा। नगर परिषद् अपने– अपने क्षेत्रों में निम्नांकित दर से शुल्क की उगाही कर सकेगी।

	उपभोक्ता की श्रेणी	नगर परिषद् (न्यूनतम मासिक शुल्क ₹)
(क)	आवासीय घर	25
(ख)	गैर आवासीय	
(i)	दुकान, खानपान के स्थान	75
(ii)	रेस्टुरेंट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, हॉस्टल	250
(iii)	सितारा होटल या उसके समतुल्य होटल	5000
(iv)	व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, शैक्षणिक संस्थान	250
(ग)	स्वास्थ्य सेवा संस्थान	
(i)	क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरीज	150
(ii)	अस्पताल (50 शय्या तक)	1200
(iii)	अस्पताल (50 शय्या से अधिक)	2000
(घ)	अन्य	
(i)	निगम क्षेत्र में स्थित लघु और कुटीर उद्योग, वर्कशॉप (केवल गैर खतरनाक) अवशिष्ट 10 कि0 ग्रा0 दिन	300
(ii)	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर खतरनाक) अवशिष्ट	750
(iii)	शादी हॉल, उत्सव हॉल, प्रदर्शनी एवं मेला	1500

उक्त अधिसूचना के कंडिका 2 के अनुसार सड़क के किनारे कचरा जमा करने पर निम्न जुर्माना देय होगा:–

1. आवासीय मकानों से– रू0 100 प्रति घटना
2. भवन निर्माण सामग्री/मलवा सड़क किनारे जमा करने पर – रू0 1000 प्रति घटना तथा मलवा हटाने का वास्तविक व्यय
3. जुर्माना नहीं देने पर 15 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज वसूलनीय होगा

नगर परिषद्, जमुई में घर–घर कूड़ा संग्रह की व्यवस्था दिनांक 16.04.16 से ही लागू है। लेखा परीक्षा में बताया गया कि घर-- धर कूड़ा संग्रह के बदले कोई उपभोक्ता शुल्क वसूल नहीं किया जा रहा है। नगर परिषद्, कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये विभिन्न उपभोक्ताओं के श्रेणी के संख्या के विवरण के आधार पर मई 2016 से मार्च 2017 तक सरकार के अधिसूचना के अनुसार उपभोक्ता शुल्क वसूल नहीं करने के कारण कम से कम रू0 3567300 के राजस्व की हानि हुई है, जिसका विवरण निम्नवत है:–

क्रमांक	उपभोक्ता की श्रेणी	उपभोक्ताओं की कुल संख्या	न्यूनतम मासिक शुल्क	मई 2016 से मार्च 2017 तक कम से कम राजस्व की हानि (संख्याXदरX11 माह)
1	आवासीय घर	12000	25	3300000
2	दुकान, खानपान के स्थान	20	75	16500
3	रेस्टुरेंट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होस्टल	08	250	22000
4	व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, शैक्षणिक संस्थान	40	250	110000
5	क्लीनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरीज	24	150	39600
6	अस्पताल 50 शय्या तक	01	1200	13200
7	निगम क्षेत्र में स्थित लघु एवं कुटीर उद्योग, वर्कशॉप	0	300	0
8	शादी हॉल, उत्सव हॉल, प्रदर्शनी एवं मेला	4	1500	66000.
			कुल	**3567300**

उपभोक्ता शुल्क वसूल नहीं करने के कारण से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

जवाब में बताया गया कि भविष्य में इसका वसूली कर लिया जाएगा। कार्रवाई के परिणाम से अवगत कराया जाय।

कंडिका सं0–11 नगर परिषद के दुकानों पर बकाया किराया–रू0 4.80 लाख

नगर परिषद, जमुई के वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 के अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद् कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये नगर परिषद के दुकान किराये के बकाया के विवरण के अनुसार दुकान किरायेदारों पर 31.03.2017 तक कुल रू0 480000 का बकाया था। दुकानों से संबंधित मॉग एवं संग्रहण पंजी तथा संचिका जॉच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

जवाब में बताया गया कि राशि की वसूली का प्रयास किया जा रहा है। कार्रवाई के परिणाम से अवगत कराया जाय।

कंडिका सं0– 12 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित उपकरण के खरीद में अनियमित भुगतान राशि रू0 15 लाख

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित संचिका के जाँच में पाया गया कि दिनांक 14.11.2015 को आयोजित नगर परिषद् जमुई बोर्ड की बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु पोर्टेबुल काम्पेक्टर (हुक लोडर के साथ) क्रय करने का निर्णय लिया गया। निर्णय के आलोक में निविदा आमंत्रण सूचना सं0 22/2015–16

प्रकाशित करायी गयी थी। निविदा आमंत्रण सूचना किस दिन तथा किस समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया इसका साक्ष्य संचिका में नहीं पाया गया। निविदा आमंत्रण सूचना का विवरण निम्न है:–

1 निविदा कागजात की बिक्री की तिथि तथा स्थानः 04.01.16 से 06.01.16 अपरान्ह 0100 तक नगर परिषद् कार्यालय

2 निविदा जमा करने की अंतिम तिथिः 07.01.16 अपरान्ह 0300 बजे तक

3 निविदा खोलने की तिथिः 08.01.16 03:00 अपरान्ह

4 वित्तीय बोली खोलने की तिथि तथा स्थानः 08.01.16 03:00 बजे अपरान्ह में नगर परिषद् कार्यालय में आगे, संचिका के अवलोकन मे पाया गया कि निविदा आमंत्रण सूचना के आलोक में कुल तीन निविदादाताओं 1. सुप्रीम इन्टरप्राईजेज, पटना 2. मेसर्स ब्लैक बेरी ओवरसीज प्रा0 ली0, नई दिल्ली तथा 3. मेसर्स बंगाल मेटल वर्क्स, कोलकाता द्वारा निविदा डाला गया। दिनांक 12.01.2016 को निविदा निष्पादन हेतु क्रय समिति की बैठक आयेजित की गई जिसमें मेसर्स बंगाल मेटल वर्क्स को निविदा शर्तो के अनुरूप तीन साल का टर्न ओवर, अंडर टेकिंग, तकनीकि विशिष्टिता से संबंधित कागजात संलग्न नहीं करने के कारण तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया।

इसके बाद वित्तिय बीड से संबंधित तुलनात्मक विवरणी बनाया गया जिसका विवरण निम्न है:

निविदा दाता का नाम	सामग्री का नाम	प्रतिवेदित दर(रू0 में)	समझौता का दर(रू0 में)
सुप्रीम इन्टरप्राइजेज, पटना	पोर्टेबल कम्पेक्टर सभी कर सहित	3064500	2837500
	हुक लोडर सभी कर सहित	4086000	3405000
मेसर्स ब्लैक बेरी ओवरसीज, नई दिल्ली	पोर्टेबल कम्पेक्टर सभी कर सहित	3405000	–
	हुक लोडर सभी कर सहित	4347050	–

सुप्रीम इन्टरप्राईजेज द्वारा निवेदित दर सर्वाधिक कम होने के कारण निविदा में सफल घोषित किया गया तथा दर को और कम करने हेतु समझौता किया गया। ज्ञापांक 101 दिनांक 14.02.16 के द्वारा सुप्रीम इन्टरप्राइजेज को पोर्टेबल/रिफ्यूज कंम्पेक्टर 10.5 घनमीटर क्षमता– 03 अदद एवं हुक लोडर– 01 अदद जिसका कुल मुल्य रू0 11917500 था के आपूर्त्ति के लिए कार्यादेश निर्गत किया गया।

आगे, संचिका के अवलोकन में ज्ञात हुआ कि सुप्रीम इन्टरप्राइजेज जो कि टी.पी.एस. इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड भिवाड़ी का अधिकृत प्रतिनिधि है, द्वारा एक ट्रक चेसिस का क्रय मेसर्स सारा ऑटोमाबाइल, पटना से किया गया ताकि इस पर हुक लोडर का अधिष्ठापन टी.पी.एस. इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड भिवाड़ी में कराया जा सके। सुप्रीम इन्टरप्राइजेज द्वारा ट्रक चेसिस के क्रय का रू0 1644127 का विपत्र प्रस्तुत किया गया तथा नगर परिषद कार्यालय द्वारा चेक संख्या A241901 दिनांक 16.06.16 के द्वारा रू0 1500000 का

भुगतान किया गया। सुप्रीम इन्टरप्राइजेज द्वारा दिनांक 12.01.16 को सूचित किया गया कि तीन पोर्टेबल कम्पेक्टर एवं एक हुक लोडर भिवानी वर्क्स में निरीक्षण के लिए तैयार है जिसका आपके निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जा सकता हैं। इसके बाद निरीक्षण तथा भिवाड़ी से सामान की आपूर्त्ति तथा भुगतान का कोई जिक्र संचिका में नहीं है। लेकिन कार्यालय द्वारा बताया गया कि सभी सामानों की आपूर्त्ति सुप्रिम इन्टरप्राइजेज द्वारा कर दिया गया है।

अंकेक्षण टिप्पणी:–

1. **प्रशासनिक स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग से नहीं प्राप्त किया गया:–** नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 4388 दिनांक 26.08.15 के द्वारा अधिसूचना जारी कर बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 75(छ) में संशोधन किया गया जिसके अनुसार नगर परिषद के लिए किसी संविदा पर व्यय के लिए प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा को बढ़ाकर 50 लाख किया गया है। संचिका के जाँच में पाया गया कि उक्त संविदा का मूल्य रू0 11917500 था जो कि नगर परिषद् के वित्तीय शक्ति के बाहर था अतः निविदा का निष्पादन तथा प्रशासनिक स्वीकृति विभाग से लिया जाना था जो कि नहीं लिया गया था।

   जवाब में बताया गया कि भविष्य में घटनोत्तर की स्वीकृति ले लिया जाएगा। कार्रवाई के परिणाम से अवगत कराया जाय।

2. **दर संविदा से अधिक दर पर क्रय रू0 32.36 लाख:–** सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित उपकरणों के क्रय करने हेतु बुडको को राज्य क्रय संगठन नामित किया गया है। उक्त उपकरणों को नगर निकायों के द्वारा क्रय करने हेतु विभिन्न सरकारी एजेंसीयों द्वारा दर संविदा किया गया है जिसका विवरण निम्न है:

सामग्री	एजेंसी	दर
Refule Compactor 14 m^3 capacity BS-III	BUIDCO	2400000
EICHER 20.16 4300mm WB Cabin & chasis with hook loader BS-III	DGS&D	2740149
Garbage Compactor 14 m^3 Capacity	MOUD	1980443

   नगर परिषद्, जमुई द्वारा क्रय किये गये सामग्री का दर निम्न है:–

सामग्री	क्रय दर
Portable Compacter 10.5 m^3 Capacity	2837500
EICHER 20.16 4300mm WB Cabin & chasis with hook loader BS-III	3405000

   उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगर परिषद् द्वारा कम क्षमता के सामग्री का अधिक दर पर क्रय करने का निर्णय लिया गया। जिसके फलस्वरूप आपूर्त्तिकर्त्ता को रू0 2571171 {3x (2837500– 1980443)} 03 कम्पैक्टर के लिए तथा रू0 664851 (3405000–2740149) एक हुक लोडर के लिए निर्धारित दर से अधिक भुगतान किया गया था।

जवाब में बताया गया कि सामग्री का क्रय निविदा के माध्यम से किया गया है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सामग्री अधिक दर पर खरीदी गई है।

3. **उपकरण की आवश्यकता का विश्लेषण नहीं किया जाना**:– नगर परिषद् द्वारा उपकरण की खरीद से पहले यह अध्ययन नहीं कराया गया कि उपरोक्त सामग्री इसकी आवश्यकताओं की पूर्त्ति करेगा। निविदा एवं कार्यादेश रिफ्यूज/पोर्टेबल कम्पेक्टर के लिए दिया गया था। जबकि दोनों के तकनीकी मानदण्ड में अंतर है। निविदा में क्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण अस्पष्ट था। रिफ्यूज कम्पेक्टर 14 घनमीटर के लिए बुडंको द्वारा दर संविदा भी किया गया था जिसका दर रू0 2400000 था एवं इसके लिए हुक लोडर एवं चेसिस की आवश्यकता भी नहीं थी तो पोर्टेबल कम्पेक्टर खरीदने की आवश्यकता नहीं थी।

   जवाब में बताया गया कि बोर्ड के द्वारा क्रय का निर्णय लिया गया है।

4. **निविदा ई टेन्डरिंग विधि से नहीं किया जाना**:– बिहार वित्तिय नियमावली के 131 (ज) के अनुसार पच्चीस लाख से अधिक मूल्य के सामग्रियों के अधिप्राप्ति के लिए विज्ञापन महानिदेशक, वाणिज्यिक गुप्तचर एवं सांख्यिकी, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित इन्डियन ट्रेड जर्नल तथा कम से कम एक राष्ट्रिय स्तर पर अधिकाधिक प्रसार वाले दैनिक पत्र में देना चाहिए। निविदा दस्तावेज को अपने कार्यालय के वेबसाइट पर लोड किया जाना चाहिए तथा निविदादाताओं को कागजात डाउनलोड तथा अपलोड करने की सुविधा देना चाहिए ताकि बोली दाता को निविदा कागजात प्राप्त करने तथा जमा करने हेतु कार्यालय न आना पड़े एवं ज्यादा से ज्यादा निविदा दाता निविदा में भाग ले सके। संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन एवं सूचना विभाग, बिहार सरकार के पास भेजा तो गया लेकिन यह किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ इससे संबंधित कोई विवरण नहीं है। निविदा कागजात को केवल कार्यालय से ही प्राप्त किया जा सकता था जिसके कारण निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं दक्षता का अभाव रहा। नगर परिषद् अधिक से अधिक बोली प्राप्त नहीं करने के कारण प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त करने से भी वंचित रहा। जवाब में बताया गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

5. **प्रदर्शन प्रतिभूति नहीं लिया जाना रू0 5.95 लाख**:– बिहार वित्तिय नियमावली 2005 के नियम 131 (त) के अनुसार संविदा का देय प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए सफल बोलीकर्त्ता से प्रदर्शन प्रतिभूति प्राप्त किया जाना है। प्रदर्शन प्रतिभूति 5 से 10 प्रतिशत राशि तक होनी चाहिए। प्रदर्शन प्रतिभूति वारंटी दायित्व सहित आपूर्त्ति कर्त्ता के सभी करार दायित्वों के पूरा होने की तिथि से साठ दिन बाद की अवधि तक वैध रहनी चाहिए। संचिका के अवलोकन में पाया गया कि आपूत्तिकर्त्ता से बिना प्रदर्शन प्रतिभूति रू0 595875 (11917500 का 5 प्रतिशत)प्राप्त किये ही सामान प्राप्त किया गया है। जवाब में बताया गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

6. **विपत्र से वैट की कटौती नहीं रू0 0.59 लाख**:– सुप्रीम इन्टरप्राइजेज जो कि टी.पी.एस. इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड भिवाड़ी का अधिकृत प्रतिनिधि है, द्वारा एक ट्रक चेसिस का क्रय मेसर्स सारा ऑटोमोबाइल, पटना से किया गया ताकि इस पर हुक लोडर का अधिष्ठापन टी.पी.एस. इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड भिवाड़ी में कराया जा सके। सुप्रीम इन्टरप्राइजेज द्वारा ट्रक चेसिस के क्रय